न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :— 14/2025
अपीलार्थीगणः—

1. जेठाराम पुत्र श्री नारायणराम, उम्र— 58 वर्ष, जाति—बावरी,
2. दुर्गाराम पुत्र श्री नारायणराम, उम्र— 45 वर्ष, जाति—बावरी,
3. श्रवणराम पुत्र श्री नारायणराम, उम्र— 40 वर्ष, जाति—बावरी,
4. मंगलाराम पुत्र श्री नारायणराम, उम्र— 37 वर्ष, जाति—बावरी,
5. लूणाराम पुत्र श्री धारूराम, उम्र— 48 वर्ष, जाति—मेघवाल,
6. लूम्बाराम पुत्र श्री टीकूराम, उम्र— 52 वर्ष, जाति—मेघवाल,
   सभी निवासी— बैहचारणान् तहसील औसिया, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगणः—

1. सुगनाराम पुत्र श्री रामूराम
2. राजुराम पुत्र श्री रामूराम
3. रिडमलराम पुत्र श्री रामूराम
4. बींजाराम पुत्र श्री रामूराम
5. पुरखाराम पुत्र श्री लादूराम
6. गेपरराम पुत्र श्री मोहनलाल
7. तुलछाराम पुत्र श्री तोगाराम
   सभी जातियान— मेघवाल, निवासी— खाबडा कलां तहसील औसिया जिला जोधपुर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसील औसिया।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 06.06.2024 जो टिनेन्सी प्रार्थना—पत्र संख्या 13/2023—24 अनवान सरकार बनाम पुरखाराम वगैरा में श्री तहसीलदार औसिंया द्वारा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित किया गया।

निर्णय दिनांकः— 23/7/25

उपस्थितिः— श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 7।

अपीलार्थीगण की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से संख्या 1 से 7 ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहसीलदार औसिया के समक्ष प्रस्तुत करके कथन किया कि उनकी खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 203 रकबा 39.4163 हैक्टर ग्राम खाबड़ाकला आया हुआ है जिसमें उनकी ढाणियां बनी हुई है जिसके आवागमन के लिए एक रास्ता खसरा नं. 100 में से चलता है, जिससे आते—जाते है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है जिसको खसरा नम्बर 100 के खातेदार जेठाराम, दुर्गाराम, मंगलाराम, राजुराम, श्रवणराम पिसरान् नारायणराम वगेरा

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जाति बावरी ने मिलकर अवरूद्ध कर दिया है जिसको शीघ्र खुलवाया जावें। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण के उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के तथ्यों से इनकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 100 में से होकर कोई रास्ता नहीं चलता है न कभी रास्ता था, जिनके खेत के लिए कदीमी रास्ता खेतासर–खाबड़ा सड़क से खसरा नम्बर 204, 204/1, 204/2 की दक्षिणी सीमा पर तथा खसरा नम्बर 204/3, 205/3 की उतरी सीमा पर चलता है। जहा पर राजस्व रेकर्ड में नक्शे में रास्ता का इन्द्राज है तथा रास्ता मौके पर चालू है। जिसको कुछ कदम दूरी पर खसरा नं. 204/1 व खसरा नं. 205/3 के खातेदारों ने हाल ही में रोक दिया है। जिसके बाद प्रार्थीगण खसरा नं. 203/3 में से होकर अपने खेत खसरा नं. 203 में आते जाते है जो वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अप्रार्थी के खेतो के बीचो बीच कदीमी कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने गांव की पार्टीबाजी से अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए उनके खेत के बीच में से रास्ता होना बताकर जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है वह निरस्त किये जाने के योग्य है इसके अलावा उक्त प्रार्थीगण ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी औसिया के न्यायालय में धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता खुलवाने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो लंबित है इस प्रकार अलग–अलग दो मामले नहीं चलाये जा सकते इसलिए धारा 251क के तहत प्रार्थीगण के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किया जावें। विद्वान तहसीलदार ने अपीलार्थीगण के जवाब एवं मौका रिपोर्ट में दर्शाये गये वैकल्पिक मार्ग की अनदेखी करते हुए अपीलार्थीगण के खेत खसरा नं. 100 में रास्ता खोलने का आदेश दिनांक 06.06.2024 को दिया है जिससे व्यथीत होकर यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है:–

विद्वान तहसीलदार औसिया का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2024 मनमाना एवं विधि व न्याय एवं अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट दिनांक 30.09.2023 में बताये गये वेकल्पिक मार्ग के तथ्य की अनदेखी कर अपीलार्थीगण के खेते में से रास्ता देने का जो आदेश दिया है वह पूर्णतया गलत है एवं धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ दिया गया है जो निरस्त किये जाने के योग्य है जबकि मौका फर्द दिनांक 30.09.2023 में प्रत्यर्थी के खसरा नं. 203 के लिए मौका पर वैकल्पिक दो मार्ग मौजूद होने का वर्णन है जिसमें पड़ौसी खसरा नं. में बंटवाड़े में छोड़ा गया रास्ता राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नं. 203 में आम सड़क तक दर्शाया गया है तथा दुसरा खसरा नं. 200/3 में से होकर रास्ता मौके पर चालू है तब अपीलार्थीगण के खेत में से रास्ता नहीं खुलवाया जा सकता। इस कारण अपीलाधीन आदेश न्याय नियम के विरूद्ध पारित किया गया होने से निरस्तनीय है। तहसीलदार ने समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है प्रत्यर्थीगण के गवाहान् से अपीलार्थीगण की जिरह बिना कोई अवसर प्रदान किये उक्त बयानों को पढ़ने में तहसीलदार ने भारी भूल की गयी है जबकि वे विधिक रूप से प्रस्तुत साक्ष्य में नहीं आते हैं। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। धारा 251क आर.टी.एक्ट. के तहत मुआवजा देकर नया रास्ते के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है तब 251 का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं बनता है। तहसीलदार ने निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करके पारित किया गया आदेश निरस्तनीय है। तहसीलदार का अपीलाधीन आदेश न्यायसंगत कारण दिया गया है जो निरस्तनीय है। अन्य कारण अपील की बहस के समय मान्यवर न्यायालय की स्वीकृति से निवेदन किये जायेंगें।

अन्त में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर तहसीलदार औसिया का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2024 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

काश्तकारी अधिनियम का मय हर्जा खर्चा के खारित किये जाने के आदेश फरमावें। अन्य उचित आदेश न्यायालय आवश्यक समझे पारित फरमावें।

पत्रावली में मूल रिकॉर्ड प्रार्थना–पत्र सं. 13/2023–24 अनवान सरकार बनाम पुरखाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.06.2024 का न्यायालय तहसीलदार औसियां से प्राप्त किया गया।

बहस अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की सुनी गयी। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थीगण के खेत खसरा नं. 100 में से होकर प्रत्यर्थीगण के खेत खसरा नं. 203 में जाने हेतु तहसीलदार औसिया ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दिनांक 06. 06.06.2024 को जो आदेश पारित किया वह विधि विरूद्ध पारित किया गया है। जबकि प्रत्यर्थीगणो को अपने खेत में जाने हेतु कदीमी रास्ता खेतासर–खाबड़ा सड़क से खसरा नं. 204, 204/1, 204/2 की दक्षिणी सीमा पर तथा खसरा नम्बर 204/3, 205/3 की उतरी सीमा पर चलता है। जहा पर राजस्व रेकर्ड में नक्शे में रास्ता का इन्द्राज है तथा रास्ता मौके पर चालू है। जिसको कुछ कदम दूरी पर खसरा नं. 204/1 व खसरा नं. 205/3 के खातेदारों ने हाल ही में रोक दिया है। जिसके बाद प्रार्थीगण खसरा नं. 203/3 में से होकर अपने खेत खसरा नं. 203 में आते जाते है जो वैकल्पिक रास्ता पहले से ही मौजूद है। खातेदारी भूमि में से मार्ग केवल सहमति से ही दिया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण ने 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी औसिया में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रखा है। इस प्रकार दो मामले अलग–अलग नहीं चलाये जा सकते है। खसरा नम्बर 203 में आने–जाने हेतु वेकल्पिक दो मार्ग मौजूद होने का वर्णन है। बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार औसिया का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित फरमावें।

प्रत्यर्थीगण विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि तहसीलदार औसिया ने जो धारा 251 के तहत खसरा नम्बर 100 में से जो रास्ता दिया गया है वह पीढ़ियों से चला आ रहा था जिसको बंद कर दिया था जिसके खुलवाने का आदेश सही दिया गया है। प्रत्यर्थीगण के पास अपने खेत खसरा नम्बर 203 में आने जाने हेतु यह एक ही वैकल्पिक रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं था इसलिए प्रत्यर्थी के पक्ष में पारित आदेश एकदम सही किया गया है। अपीलार्थीगण ने जो रास्ते मौजूद होने की बात कही है वह मार्ग मौजूद नहीं है प्रत्यर्थीगणों को एकदम नजदीक व कदीमी रास्ता पीढ़ियों से चला आ रहा है। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमायी जावें।

हमने प्रस्तुत अपील, मूल पत्रावली, राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात् एवं उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को का अध्ययन कर विचार किया गया। अपीलार्थीगण ने यह अपील दिनांक 06.06.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें इस आदेश को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार औसिया ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण के खेत खसरा नं. 203 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 100 में से सुखाचार के तहत वैकल्पिक रास्ता दिया गया है। पत्रावली के साथ भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का की दिनांक 30.09.2023 की जांच रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट में खसरा नम्बर 203 में प्रत्यर्थीगण की जो ढाणिया बनी हुई व खेत आया हुआ है उसमें आने–जाने हेतु खेतासर–खाबड़ा जाने वाली मुख्य सड़क से लगते खसरा उतरी सीमा के खसरे 204/2, 204, 204/1 व दक्षिण सीमा के खसरे 205/1, 205/3 के बीच में से खसरा नं. 204/3 का रास्ता दर्शाया गया है जिसके अनुसार प्रत्यर्थीगण को अपने खेत में आने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है यह रास्ता 204 के

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

खातेदारो द्वारा बंटवाड़ा के तहत दिया गया है। इसके अलावा खसरा नम्बर 200/3 में दर्शाये बिन्दु एम, एन में भी कच्चा रास्ता खसरा नम्बर 203 में जाने हेतु दर्शाया हुआ है। खसरा नम्बर 100 में से जो रास्ता दर्शाया गया है वह रास्ता बिन्दु ए व बी है जो अपीलार्थीगण के खेत के बीच में से होकर गुजरता है। ऐसे रास्ते जो निजी खातेदारी की भूमियों में से होकर गुजरते वह रास्ते धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही दिये जा सकते है। प्रत्यर्थीगण की निजी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी औसिया में धारा 251क के तहत लंबित है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार औसिया द्वारा जो रास्ता सुखाचार के तहत रास्ता दिया गया न्यायोचित नहीं था क्योंकि प्रत्यर्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता पहले से ही मौजूद है जो खसरा नम्बर 204 वगैरा के खातेदारो ने बंटवाड़े के तहत खसरा नम्बर 203 तक जाने हेतु छोड़ा है। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार औसिया द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2024 को निरस्त किया जाता है तथा मूल रिकॉर्ड तहसीलदार औसिया को वापिस लौटाया जाता है।

सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 23/7/25 खुले इजलास में सुनाया गया।

सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)